भारत सरकार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय विकास आयक्त का कार्यालय सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096



Government of India Ministry of Commerce & Industry Office of the Development Commissioner SEEPZ Special Economic Zone Andheri (E), Mumbai - 400096

वेबसाइट: www.seepz.gov.in | ई-मेल: dcseepz-mah@nic.in | टेलीफोन: 022-28290856/28294700

कार्यालय आदेश संख्या 372 /2024 दिनांक: 04.11.2024 Office Order No. 377_/2024 Dated: 04.11.2024

सेज़ अधिनियम नियमित मूल्यांकन और निकासी कार्यों में विनिर्दिष्ट अधिकारी की भूमिका निर्धारित नहीं करता है। विनिर्दिष्ट अधिकारी की मुख्य भूमिका पर्यवेक्षी प्रकृति की होती है और एनएसडीएल दवारा सेज़ ऑनलाइन प्रणाली को डिजाइन करते समय इसे ध्यान में रखा गया था।

2. हालाँकि, ICEGATE आमतौर पर CBIC के तहत सीमा शुल्क गठन के लिए डिज़ाइन किया गया/ काम करता है, जहाँ सहायक आयुक्त / उपायुक्त को मूल्यांकन उददेश्य के लिए ACL / AC जैसी भूमिकाएँ दी गई हैं।

3. चूँकि सेज़ के लिए यह बाध्यता केवल ICEGATE के कारण उत्पन्न हो रही है, यह सेज़ नियमों, अधिनियमों और सेज़ में कामकाज को खत्म नहीं कर सकता है।

4. तदनुसार, यह सलाह दी गई है कि विनिर्दिष्ट अधिकारी सेज़ नियम, 2006 के अनुसार प्राधिकृत अधिकारियों को एसीएल/एसी की भूमिका सौंप सकते हैं।

5. यह विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़ के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

The SEZ Act does not prescribe role of Specified Officer in routine assessment and clearance works. Main Role of Specified Officer is of supervisory nature and the same was taken into consideration while designing the SEZ online system by NSDL.

However, ICEGATE 2. typically works/designed for Customs formation CBIC where under Assistant Commissioner/Deputy Commissioner has been given roles such as ACL/AC for assessment purpose.

3. Since this compulsion for SEZs is arising only because of ICEGATE, it cannot override SEZ Rules, Acts and functioning at SEZs.

4. Accordingly, it has been advised that the Specified Officers can delegate the Role of ACL/AC to the Authorized Officers in terms of SEZ Rules, 2006.

5. This issues with the approval of Development Commissioner, SEEPZ-SEZ.

2111/20

(डॉ. प्रसाद वरवंटकर/ Dr. Prasad Varwantkar) उप विकास आयुक्त/ Dy. Development Commissioner सीप्ज़-सेज़/ SEEPZ-SEZ

F. No. SEEPZ-SEZ/S/1-Misc-221/92-93/SEEPZ/12512 Date:- 04.11.2024

प्रति/ To,

- क्षेत्रीय विकास आयुक्त कार्यालय, सीप्ज़-सेज़ के अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले सभी विनिर्दिष्ट अधिकारी, प्राधिकृत अधिकारी All Specified Officer, Authorised Officer under the jurisdictional of Zonal Development commissioner, SEEPZ-SEZ
- 2. विआका/संविआका/उविआका/विअ / DCO/JDCO/DDCO/SO
- 3. कार्यालय आदेश फ़ाइल / रजिस्टर / Office Order Register/ File
- 4. वेबसाइट / Website